

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ4(ई) जी-70 / 2023 / अलेसे-III / 10182

दिनांक :- 09.12.2025

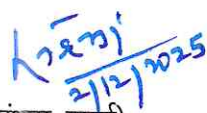
कार्यालय आदेश

निम्नांकित नव-नियुक्त कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षणार्थी) को उनके आवेदन के अनुसरण में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	रोल नम्बर	नाम क0 लेखाकार	पाठ्यक्रम का नाम एवं सत्र	संस्थान जिससे पाठ्यक्रम किया जाना है/ परीक्षा आयोजक संस्था	पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	754274	श्री गिराज सैनी	एम.ए. (प्रीवियस)(इतिहास) सत्र - जुलाई, 2025 (दूरस्थ शिक्षा)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	अति.आयुक्त एवं सं. शासन सचिव (प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.11.2006 में वर्णित निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

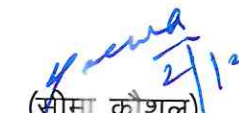
- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- 3 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 4 उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 5 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और अस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 6 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।


(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव
दिनांक :- 09.12.2025

क्रमांक :- एफ4(ई) जी-70 / 2023 / अलेसे-III / 10182

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित विभाग/ कार्यालय (तालिका के कॉलम 6 के अनुसार)।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)